भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1810
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान की किस्त

1810. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आधार अथवा बैंक खाते की समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में पात्र किसानों को पीएम-किसान की किस्तें नहीं मिल पा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) इन मुद्दों को शीघ्र हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग) पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका शुभारंभ फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं पूरा करने के लिए किया गया था । इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में 6,000/- रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमि का होना प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो उच्च आर्थिक स्थिति से संबंधित कुछ अपवर्जनों के अधीन हैं।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों को बिना किसी बिचौलिए के हस्तक्षेप के प्राप्त हो। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना के आरंभ से अब तक 21 किस्तों में ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया है।

पीएम-किसान योजना के तहत सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में किए जाते हैं। इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार से जुड़ा बैंक खाता होना अनिवार्य शर्तों में से एक है। तदनुसार, जिन मामलों में किसानों का बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है, उनमें भुगतान प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। किसानों द्वारा अपने बैंक खातों को आधार से जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि किसान अपना खाता एक बैंक से दूसरे बैंक में बदल सकते हैं। तथापि, जैसे ही किसान अनिवार्य शर्त पूरी करते हैं, उनकी बकाया राशि तुरंत आधार से जुड़े बैंक खाते में अंतरित कर दी जाती है। दिनांक 06/02/2026 तक, उन किसानों का राज्यवार विवरण जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े नहीं हैं, संदर्भ के लिए **अनुबंध-I** में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, विभाग नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के समन्वय से बैंक खातों को आधार से जोड़ने की सुविधा के लिए सैच्युरेशन ड्राइव चलाता है। साथ ही, किसानों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि पीएम-किसान योजना के तहत मिलने वाले लाभों के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए वे अपने बैंक खातों को आधार से जोड़ें।

अनुबंध – 1

लंबित आधार-बैंक अकाउंट सीडिंग वाले किसानों की राज्यवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लंबित आधार-बैंक खाता जोड़ने वाले किसानों की संख्या
1	उत्तर प्रदेश	10,44,200
2	गुजरात	2,90,358
3	केरल	68,798
4	राजस्थान	2,13,779
5	कर्नाटक	1,30,263
6	पश्चिम बंगाल	1,22,106
7	मध्य प्रदेश	1,87,011
8	महाराष्ट्र	1,72,349
9	ओडिशा	73,532
10	झारखंड	53,083
11	मणिपुर	18,898
12	पंजाब	61,360
13	तमिलनाडु	87,432
14	हरियाणा	61,490
15	बिहार	1,39,430
16	तेलंगाना	97,467
17	आंध्र प्रदेश	41,626
18	छत्तीसगढ़	34,622
19	हिमाचल प्रदेश	30,114
20	अरुणाचल प्रदेश	3,915
21	असम	10,146
22	नागालैंड	8,535
23	उत्तराखंड	26,273
24	जम्मू और कश्मीर	15,660
25	त्रिपुरा	12,998
26	मिजोरम	3,063
27	मेघालय	4,122
28	सिक्किम	2,456
29	दिल्ली	727
30	लद्दाख	734
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	374
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	583
33	गोवा	392
34	लक्षद्वीप	226
35	पुदुचेरी	213
36	चंडीगढ़	26
	कुल	**30,18,361**

*****